# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 5079/2022**

ममता चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
3. प्रेम देवी, उपप्रधान, पंचायत समिति चाकसू, जयपुर।
4. भूरी देवी गुर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत थली, पंचायत समिति चाकसू, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 29.09.2022
**आदेश की दिनांक** : 13.02.2023

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री विजय पूनिया, अभिभाषक

**समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन वास्ते संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से श्रीमती फुला देवी राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मालियों का झोपड़ा, सोनवा, टोंक रिक्त पद पर किया गया। अपीलार्थी द्वारा रामफूल चौधरी, पवन कुमार ततरवाल के विरूद्ध अपीलार्थी को शारीरिक शोषण के लिए परेशान करने पर इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 195/2021 दायर की गई। इस आधार पर अपीलार्थी की शिकायत करने पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 एवं 4 के पत्र दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा की गई अनुशंषा पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक कारणों से किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के

आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

इस संबंध में स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2022 के द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया कि ''अपीलार्थी के विरूद्ध उपप्रधान पंचायत समिति चाकसू द्वारा दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–2) से तथा सरपंच ग्राम पंचायत थली के द्वारा दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–2) से शिकायत पत्र लिखे गए है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में शिकायत के आधार पर किए गए स्थानान्तरणों को अवैध एवं अनुचित माना गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 की क्रियान्विति (Operation) को स्थगित किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच कराये जाने पर यदि शिकायत प्रमाणित पाई जाती है तो प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है, उसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।''

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने दिनांक 06.02.2023 को जवाब प्रस्तुत कर अधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.2022 को दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त (Vacate) करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के एवं बिना किसी कार्मिक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एवं बिना किसी दुर्भावना के किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 की अनुपालना में दिनांक 22.11.2022 को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–आर/1) अपीलार्थी को प्रकरण में दिनांक 29.11.2022 को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है किन्तु जिस आदेश को अपीलार्थी द्वारा अपील में चुनौती दी गई थी उसकी पालना अपीलार्थी द्वारा स्थगन आदेश से पूर्व ही दिनांक 22.11.2022 को की जा चुकी थी किन्तु अपीलार्थी ने इस तथ्य को छुपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अतः अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील में दिनांक 06.02.2023 को जवाब अपील प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर में शैक्षणिक कार्य सहीं तरीके से नहीं करने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की गई, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा रामफूल चौधरी, पवन कुमार ततरवाल के विरूद्ध अपीलार्थी

को शारीरिक शोषण के लिए परेशान करने बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट 195/2021 दायर की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त शिकायत झूठी पाई जाने पर अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। अपीलार्थी की उपप्रधान पंचायत समिति चाकसू द्वारा शिकायत की थी कि ये अध्यापिका हमारे स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करती है तथा कांग्रेस पार्टी विरोधी भाषण करती है। जबकि उपप्रधान बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जीती हुई है। अतः अपीलार्थी द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप से स्थानान्तरण किया जाने का कथन सही नहीं है। आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर से श्रीमती फुला देवी राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मालियों का झोपड़ा, सोनवा, टोंक किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–आर/4/1) द्वारा कार्यमुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 22.11.2022 (अनुलग्नक–आर/4/2) द्वारा श्रीमती फुला देवी राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मालियों का झोपड़ा, सोनवा, टोंक कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष आलोच्य आदेश की पालना में कार्यग्रहण करने बाबत तथ्य छुपाया गया। इसके कारण अपीलार्थी द्वारा दायर अपील शून्य हो गई है।

प्रस्तुत अपील पर उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर शिकायत के आधार पर किया गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 निरस्त योग्य है। इस संबंध में WLR 1992 (s) Raj 317. एवं DB Special Appeal (Writ) No. 45/2001 गिरीराज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य न्याय दृष्टांत अपने समर्थन में प्रस्तुत किए।

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी ने जवाब में अंकित तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार राजहित में किया गया है। अपीलार्थी को प्रथमतः राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के तहत सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 की अनुपालना में दिनांक 22.11.2022 को नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया एवं इस तथ्य को छिपाकर स्थगन प्राप्त किया है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 के संबंध में अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी को सुना जाकर उक्त आलोच्य आदेश के संबंध में अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2022 से एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्ष 2014 से राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर में पदस्थापित रही है। अपीलार्थी की सरपंच ग्राम पंचायत थली एवं उप प्रधान पंचायत समिति चाकसू द्वारा शिक्षण कार्य ठीक तरह से नहीं करने एवं घरेलु कार्य करने के कारण छात्र/छात्राओं के अभिभावकों द्वारा पढाई के संबंध में बात करने पर उनके विरूद्ध अभद्ध व्यवहार करने एवं उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने के दृष्टिगत स्थानान्तरण के लिए लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट 195/2021 की वर्तमान स्थिति संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 ने, जो कि स्थानीय पंचायत के सरपंच एवं पंचायत समिति के उपप्रधान है, ने अपीलार्थी द्वारा राजकार्य में रूचि नहीं लेने, विद्यालय देरी से आने एवं जल्दी घर चले जाने एवं अपने घरेलु कार्य में व्यस्त रहने के आधार पर शिकायत की है कि इससे छात्रों की पढाई बाधित होती है। अपीलार्थी विद्यालय की प्रभारी अध्यापिका है इससे अभिभावकों द्वारा विद्यालय संचालन एवं छात्रों की पढाई बात करने पर अपमानजनक एवं अभद्र व्यवहार करती है। एक राजकीय कर्मी से यह अपेक्षित है कि राजकीय कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं क्षमता से करे। इन तथ्यों के आलोक में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस प्रकरण के संबंध में लागू नहीं होते है एवं उक्त स्थानान्तरण आदेश राजनैतिक हस्तक्षेप से जारी किया जाना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 की अनुपालना में दिनांक 22.11.2022 को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.2022 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने बाबत तथ्य छुपाया गया। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों के दृष्टिगत स्थगन समाप्ति (Stay vacation) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.11.2022 को समाप्त (Vacate) किया जाता है तथा उपर्युक्त समस्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**